



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सा. 942 /2024

दिनांक : 26 जून, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-भा.स.15/सत्तर-1-2024 दिनांक 21 मई, 2024 एवं सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार) के पत्र संख्या-F.1-15/2009 (ARC) PL.III दिनांक 18.04.2024 के द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग को रोके जाने हेतु एंटी रैगिंग कमेटी के गठन के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन अधोलिखित रूप में किया जाता है -

- | | |
|--|-----------|
| 1. प्रो. हरिशंकर पाण्डेय, छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष | - अध्यक्ष |
| 2. प्रो. दिनेश कुमार गर्ग, विनयाधिकारी | - सदस्य |
| 3. प्रो. राघवेन्द्र जी दूबे, समन्वयक, एन.एस.एस. | - सदस्य |
| 4. डॉ. विजय कुमार शर्मा, मुख्य प्रतिपालक | - सदस्य |
| 5. डॉ. विशाखा शुक्ला, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र | - सदस्य |
| 6. डॉ. विजेन्द्र कुमार आर्य, एन.सी.सी. अधिकारी | - सदस्य |
| 7. श्री केश लाल, उप कुलसचिव, सुशासन | - सदस्य |

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

(राकेश कुमार)

आई. ए. एस.

कुलसचिव

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
- समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
- एंटी रैगिंग कमेटी के उपरोक्त समस्त महानुभाव।
- छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
- परीक्षा नियंत्रक।
- विनयाधिकारी।
- उप कुलसचिव (प्रशासन)
- आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
- सुरक्षाधिकारी।
- सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार)

आई. ए. एस.

कुलसचिव